No. 28-HA-63/HC/1480.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land specified below is needed by Government, at public expense, for a public purpose, namely, construction of road Barwala Jind (Sec. Barwala to Kheri Jalab), Village Gianpura, Tehsil Hansi, District Hissar, it is hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose.

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern and under the provision of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana P. W. D., B. and R. Branch, Hissar or District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Hissar, is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

Plans of the land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector, Haryana P.W.D., B. and R. Branch, Hissar or District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Hissar or Executive Engineer, Construction. Division, Hissar.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/Village Hadbast No.	Area in Acres	Rectangle Khasra Nos.
Hissar	Hansi	Gianpura, H. B. 15 RD 13690 M to RD 14025 =	$\frac{335 \times 30 \times 3.28}{9 \times 4840}$ = 0.76 Acres.	$\frac{28}{21, 22, 23, 24, 25}$,

No. 28HA/63-H/1481.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land specified below is needed by the Government, at public expense, for public purpose, namely, constructing a road from Kharia to Kirtan in tehsil Hissar district Hissar, it is hereby declared that the land described in the specificatio n below is required for the aforesaid purpose.

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern and under the provisions of section 7 of ths said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana, P.W.D., B.&R. Branch, Hissar or District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Hissar is hereby direct to take orders for the acquisition of the said land.

Plans of the land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector, Haryana P.W.D., B.&R. Branch, Hissar or District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Hissar or Executive Engineer, Provincial Division, Hissar.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/Village Hadbast No.	Area in Acres	Rectangle Khasra No.
Hissar	Hissar	Kharia H.B. 47	9.18	$\frac{101}{21, 22, 23}$, $\frac{102}{11, 12f, \frac{17}{2}, 18, 19, 25}$,

District	Tehsil	Locality/ Village	Hadbast No.	Area in acres	Rect./Khasra Nos.
Hissar	Hsssar	Kharia,—*concld,*			$\frac{103}{1,\ \frac{2}{1},\ \frac{2}{2},\ 7\ \text{to}\ 12,\ 15,\ \frac{20}{1},\ \frac{20}{2},\ 21}$, $\frac{104}{5,\ 6,\ 15,\ 16,\ 25}$, $\frac{114}{5,\ 6}$, $\frac{120}{11}$, $\frac{115}{1,\ 9,\ 10,\ 12,\ 19,\ 22}$, $\frac{117}{\frac{2}{1},\ \frac{2}{2},\ \frac{3}{1},\ \frac{3}{2},\ \frac{4}{1},\ \frac{4}{2},\ \frac{5}{1},\ \frac{5}{2}}$ $\frac{118}{1\ \text{to}\ 4,\ \frac{6}{1},\ \frac{6}{2},\ 7\ \text{to}\ 10}$ $\frac{119}{6,\ 7,\ 8/1,\ 8/2,\ \frac{9}{1},\ \frac{9}{2},\ \frac{10}{1},\ \frac{10}{2},\ \frac{14}{1},\ \frac{14}{2},\ 15}$ $\frac{128}{2,\ 9,\ 12,\ 19,\ 22}$; $\frac{136}{6\ 15,\ 17,\ \frac{23}{1},\ \frac{23}{2},\ 24}$ $\frac{137}{1,\ 2,\ 10}$, Khasra Nos. 233, 237 to 239, 404 to 407, 242, 247, 272 to 275, 279, 284, 287 to 289, 293 to 295, 299 to 302, 309, 310, 316, $\frac{316}{1}$, 317 to 320, 326, 330 to 334. 337, 339, 340, 341, 352 to 354, 370 to 372, 389 to 392, 417 to 420, 436, $\frac{613}{1}$, 648, 649, 671, 672, 678, 430
Hisssar	Hissar	Kirtan	46	6.63	$\frac{122}{6,\ 7,\ \frac{8}{1},\ \frac{8}{2},\ 9,\ 10,\ 12\ \text{to}\ 15}$ $\frac{123}{6\ \text{to}\ 15}$, $\frac{124}{6\ \text{to}\ 15}$, $\frac{125}{6\ \text{to}\ 16,\ 25}$

District	Tehsil	Locality/ Village	Hadbast No.	Area in Acres	Rect./Khasra No.
Hissar	Hissar	Kirtan—*concld*			126/20, 21, 138/1 to 4, 8 to 10, 139/5, 6,
					Khasra Nos. 176, 181, 189, 189/1, 182, 191, 192, 195, 197, 285, 521, 523, 525, 528 to 533, 535, 536, 539, 540, 542, 544, 545, 548, 561/1, 562, 604 to 612, 679, 692, 749 to 798, 855, 871, 873 to 877, 859
		Total		15.81	

No. 28HA/63-H/1482.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land specified below is needed by the Government, at public expense for public purpse, namely constg. a road from Landhri to Nangthala in Tehsil Hissar, dis.rict Hissar, it is hereby declared that the land described in the specification below, is required for the aforesaid purposes.

This declaration is made under the provisions of section 6 of the land Aoquisition Act, 1894, to all whom it may concen and under the provision of section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana P.W.D., B. & R. Branch, Hissar or District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collcctor, Hi.sr is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

Plans of the land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector, Haryana, P.W.D., B. & R. Branch, Hissar or District Revenue Officer-cum Land Acquisition Collector, Hissar or Executive Engineer Provl. Division, Hissar.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/Village / Hadbast No.	Area in acres	Rectangle / Khasra No.
Hissar	Hissar	Nangthala, HB 138	0.80	140/6, 217/(4/2, 9/2), 361, 346

(Sd). . . .,

Superintending Engineer,
Hissar Circle, P.W.D., B. & R. Branch,
Hissar.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 4 जनवरी, 1985

सं. ओ.वि./एफ.डी./187–84/455.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एसोसिएटिड इन्जीनियरिंग इंडस्ट्रीज, 17/3, मथुरा रोड़, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री हरि ओम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-88-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-

निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री हरि ओम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ.डी./186-84/462.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. गिरधर सिल्क मिल, प्लाट नं0 68, सैक्टर-27, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री जेठा राम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामलें मे कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी.-श्रम-88-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री जेठा राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ.डी./116-84/469.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० परिवहन आयुक्त, हरियाणा (2) महाप्रबन्धक हरियाणा राज्य पविहन, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री बाल किशन तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-88-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री बाल किशन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 8 जनबरी, 1985

सं०ओ०वि०/हिसार/61-84/891.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० भारत अस्ट्रेलियन पशु प्रजनन परियोजना, हिसार के श्रमिक श्री आत्मा राम तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864-ए.एस.ओ.(ई)70 श्रम 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद ग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है:—

क्या श्री आत्मा राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?